

कोटेशन सूचना

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक/वा
प.म.रेल भोपाल

कोटेशन सं :वा/भो/रिटा.रूम/टीटीईरे.हा./कपड़े धुलाई/भोपाल/कोटेशन/22

25.02.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भोपाल स्टेशन पर स्थित टीटीई रेस्ट हाउस एवं रिटायरिंग रूम के कपड़े धुलाई के लिए इस कार्य हेतु अनुमानित लागत रु 45924/- (रु पैतालीस हजार नौ सौ चौबीस मात्र) है। इस कार्य हेतु कोटेशन के आधार पर 90 दिनों के लिए ठेका दिया जायेगा ।

कोटेशन फार्म रेलवे वेवसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है। कोटेशन फार्म में समस्त जानकारी दी गई है एवं भरे हुये कोटेशन फार्म के साथ रु 920/- का डिमांड ड्राफ्ट /एफ डी आर/टी डी आर /एस टी डी आर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से वरि मंडल वित्त प्रबंधक पमरे भोपाल के नाम बनवाकर बयाना राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा कोटेशन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा ।


सील्ड कोटेशन फार्म दिनांक **03.03.2022** समय **15/00** बजे तक इस कार्यालय में रखे गये सील कोटेशन बाक्स में डाले जायेंगे तथा उसी दिनांक को **15/15** बजे आप उपस्थित है अथवा नहीं है तो भी खोले जायेंगे । कोटेशन को बिना किसी कारण बताये रेल प्रशासन को निरस्त करने का अधिकार है यदि कोटेशन खोले जाने वाली दिनांक को किसी कारण वश अवकाश रहता है तो कोटेशन अगले कार्य दिवस में कोटेशन बाक्स में डाले जायेंगे एवं खोले जायेंगे ।

कोटेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी कोटेशन फार्म में विस्तार से दी गई हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता हैं।

कृतेमंडल रेल प्रबंधक /वाणिज्य
पश्चिम मध्य रेल भोपाल

भोपाल स्टेशन पर स्थित टीटीई रेस्ट हाउस एवं रिटायरिंग रूम के कपड़े धुलाई का कार्य 90 दिन या नये ठेके की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने तक जो भी पहले हो तक के लिये कराने हेतु कोटेशन फार्म कार्य की अनुमानित कुल लागत रूपये 45924/-

मंडल रेल प्रबंधक (वा)
पश्चिम मध्य रेल भोपाल



विषय भोपाल स्टेशन पर स्थित टीटीई रेस्ट हाउस एवं रिटायरिंग रूम के कपड़े धुलाई हेतु ।

महोदय जी ,

1	संस्था का नाम /प्रार्थी का नाम पिता का नाम	
2	पत्र व्यवहार के लिये पूर्ण पता	
3	डी डी /एफ डी आर /टी डी आर /एस टी डी आर की संख्या एवं जारी करने वाली बैंक का नाम , दिनांक एवं रूपये (बयाना राशि हेतु)	
4	संस्था प्रमुख /कोटेशनदाता का आधार कार्ड नं व प्रति	

मैने इस कोटेशन की समस्त शर्तों व कार्य निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है व समझ लिया है व तदानुसार कार्य करने को तैयार हूं ।

संस्था प्रमुख /कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

नाम :

पिता का नाम :

दिनांक

कोटेशनदाता द्वारा दिये जाने वाले रेटस

विषय :- भोपाल स्टेशन पर स्थित टीटीई रेस्ट हाउस एवं रिटायरिंग रूम के कपड़े धुलाई कार्य ।

कार्य की अवधि : 90 दिन या नये ठेके की प्रक्रिया का अंतिम रूप दिये जाने तक जो भी पहले हो तक ।

क्र.	आइटम	मात्रा	दर	कुल लागत रु
1.	चादर	7171		
2.	तकिया कवर	3678		
3.	मच्छरदानी	59		
4.	टावल बड़ा	118		
				योग
				जीएसटी(18%)
				कुल योग

नोट :- उपरोक्त रेट समस्त टैक्स इत्यादि को जोडकर कोड करें।

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर

कोटेशन दाता का नाम
मोबाइल नंबर-

कार्य निर्देश

1.	उक्त कार्य संलग्न एनेक्सर अनुसार।
2.	ठेकेदार को स्वयं कपड़े धुलाई हेतु रिटायरिंग रूम/टीटीई रेस्ट हाउस कार्यालय भोपाल से लेने होंगे तथा सात दिनों के अंदर कपड़े धोकर उसी जगह वापस करने होंगे।
3.	कपड़ों की धुलाई एवं प्रेस साफ एवं ठीक तरह से होना चाहिये।
4.	कपड़ों के फटने, गलने एवं चोरी होने की ज़ुम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसे उसका जुर्माना/कीमत देना होगा।
5.	रेलवे द्वारा दी गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।
6.	भुगतान बिलों के आधार पर किया जायेगा बिल स्टेशन अधीक्षक भोपाल के कार्यालय में तीन प्रतियों में बनाकर जमा करना होगा।
7.	यह ठेका (90 दिन)के लिए दिया जावेगा।
8.	ऊपर दिये गये सभी कपड़ों के रेट दर्शाना आवश्यक है अन्यथा कुटेशन रद्द किया जा सकता है।
9.	शील बंद कुटेशन इस कार्यालय में दिनांक 03/03/2022 को समय 15/00 बजे तक पहुंच जाना चाहिये।
9.	आवश्यकता होने पर उपरोक्त कपड़ों के अलावा अन्य कपड़े भी धुलवाये जा सकते हैं।
10.	रेल प्रशासन को शर्तों को बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर

कृते मंडल रेल प्रबंधक(वा)
पश्चिम मध्य रेल भोपाल

OTHER TERMS & CONDITIONS :-

A. Earnest Money
The quotation should be accompanied by Earnest Money Deposit of Rs 920/- quotations without or with less earnest money will be rejected. The earnest money should be in the form of DD /TDR/STDR/ for six month duly issued by Nationalised /sechedule bank drawn in favour of Sr Divisional Finance Manager West Central Railway Bhopal .
The earnest money as stipulated in quotation above shall accompany each quotation form.
The Earnest money will be returned to the unsuccessful quotationer (s), the Earnest money of the successful quotationer will be adjusted towards part of Performance Gurrantee. In such case no interest will be payable to the successful quotationer.
The Earnest money shall remain deposited with the Sr Divisional finance Manager West Central Railway, Bhopal for a period of at least 120 days from the date of the opening of the quotation.
The Earnest money deposited is liable to be forfeited if the quotationer withdraws or amends impairs or derogates from the tender, any condition in any respect within the period of validity of his offer.
If the successful quotationer fails to furnish the PG as required and fails to return formal agreement with acceptance then the Earnest money Rs 920/- shall be liable to be forfeited by the West Central Railway.
The balance work shall be done independently without risk and cost of the original contractor.
The original contractor shall be debarred from participating in the quotation for executing the balance work. if the failed contractor is a JV or a partnership firm then every member /partner of such a firm would be debarred from participating in the quotation for the balance work either in his/her individual capacity or as partner of any other JV/partnership firm. In the event of unsatisfactory service during the contract period and due to this if the contract is terminated in this circumstance the security deposit will be forfeited by the Railways Security deposit to be paid to contractor will be utilized for the due fulfillment of contract.
C-Payments :
1-No payment for work done will be released unless the PG money is submitted before the agreement. Payment shall be made on monthly basis the contractor shall submit their monthly bills in 4 copies duly verified & certified by Station Manager & Railway administration shall make payment accordingly. Taxes shall be deducted at source as per applicable rules.
2-Daily work done register will be maintained at Janitor to record details of work done at Station and it should be signed by Station Manager and contractor or his authorized representative.
3-No intrest or damage for delay in payment of bill or any amount due to the contractor for any reason whatsoever shall be admissible.
D-General Condition :
1-On behalf of the President of India Divisional Railway Manager (Commercial) Bhopal (Here in referred to as West Central Railway) invites sealed quotation form established and reliable contractors/quotationers for work as set forth in the schedule of work as mentioned in in quotation form.
2-All offers in the prescribed form should be submitted in seald packet & super scribed with the name of work.
3-All offers should be submitted before the time and date fixed for the receipt of the offers as set forth in the quotation. Offers received after the stipulated time & date published in the quotation notice will be liable to be rejected.
4-The offer should be submitted in a sealed cover addressed to Divisional Railway Manager

(Commercial) Bhopal W C Railway by 15:00 on dt 03/03/2022 the received offers will be opened on the same day at 15:15 Hrs.
5-All erasers & alterations made in filling the quotation documents must be attested/initiated by the quotationer no advise of any change in rate or conditions after the opening of the quotation will be entertained.
6-Rly administration reserves the right of postponement of the date of opening of quotation rejection of any or all quotation received or cancellation of this quotation notice without assigning any reason.
7-The contractor shall note that no compensation due to any injury ,loss of life or lass of material shall be payable by the Railway.Administration and contractor shall have to pay all the claims due as compensation in case of accident , injury to their labour/supervisor tec for whatsoever reason.
8-If the quotationer deliberately gives wrong information in his quotation or creates circumstances for acceptances of his quotation the Railway reserves the right to reject such quotation at any stage and forfeit his EMD/performance Gurantee .
9- Contractor should not engage minor labour & should also ensure that only physically fit persons should be deployed for the job.
10- The contractor shall be responsible for compliance with the provision of the hours of employment regulations in respect of the staff employed by the contractor.
11-The contractor shall comply with the provision of Payment of Wages Act and the minimum Wages Act or any other rules made there under as amended from time to time in respect of all employees employed by him in connection with this contract.
12-Any dispute or difference arising out of the agreement (for which provision does not exit in this agreement) shall be referred to sole arbitrator of Divisional Railway Manager West Central Railways, Bhopal proceeding of the Arbitration will be conducted as per Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended thereafter.
13-All the disputes arising out of this contract shall be subject to Courts with in Bhopal jurisdiction only.Contractror will enter into agreement after being awarded awarding latter of allotment.
14-The contractor shall abide by the provisions of contract labour Act -1970 , payment of Wages act -1963, Minimum wages act 1948 Child labour act 1986 and any other act(s) applicable to this contract as modified from time to time.
15- The Railway administration will be at liberty to terminate this contract at any time without assigning any reason Railway administration will not be liable for any loss caused to contractor due to termination of this work.
E-Rate : The rates quoted shall be all inclusive of the following :-
1- Cost of equipment required for cleaning work ,labour work, tools, equipment, tackles and supervision.
2-All taxes as applicable will be borne by contractor.
F-Acceptance of Quotation
1-The West Central Railway may accept or reject any quotation without assigning any reason or may not accept the lowest or any quotation.
2-Acceptance of quotation will be communicated by a formal acceptance letter .The date of starting the contract will be deemed as mentioned in contract award letter.
In case of multipule L-1 rules contained in Rly board letter no 2017/Trans/01/policy dt 08.02.2018 applicable for selection of lowest bidder .

Signature of Offerer

कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें

फर्म को लिनेन की वाशिंग एवं क्लीनिंग व्यवसाय के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए । केवल ऐसे अनुभवी एवं योग्य फर्म जो प्रतिष्ठित/बड़े संस्थानों में इसी तरह के कार्य को बिना किसी शिकायत के निष्पादित करने के दस्तावेज रखते हो के साथ आवेदन करें ।

- 1.जी .एस टी का प्रमाण पत्र
- 2.पैन कार्ड की प्रति
3. आधार कार्ड की प्रति
4. अनुभव प्रमाण पत्र

कुटेशनदाता के हस्ताक्षर

—:विशेष शर्तें:—

01. रिटायरिंग रूम/ टी.टी.ई रेस्ट हाउस में उपयोग लाये जाने वाले कपड़ों की 90 दिन में धुलाई/ड्रायक्लीनिंग की अनुमानित संख्या को कार्य-सूची में दर्शाया गया है ।
02. ठेकेदार को रिटायरिंग रूम/ टी.टी.ई रेस्ट हाउस से कपड़ों को धुलाई हेतु प्रतिदिन (Daily)प्राप्त करना होगा व धुलाई किये हुए या ड्रायक्लीनिंग किये हुए कपड़ों को प्रेस कर प्राप्ति से दूसरे दिन रिटायरिंग रूम / टी.टी.ई रेस्ट हाउस में ही वापस करना होगा । अन्यथा ठेकेदार पर रुपये 20/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जायेगा तथा 30 दिन की अवधि में धुलाई हेतु दी गई सामग्री यदि वापस नहीं की जायेगी तो जुर्माना राशि के साथ ही वापस नहीं की गई सामग्री की वर्तमान कीमत जो कि मंडल भण्डार नियंत्रक से प्राप्त की जायेगी, के अनुसार कटौती की जायेगी ।
03. ठेकेदार को रिटायरिंग रूम/टी.टी.ई रेस्ट हाउस के जॉनीटर/कस्टोडियन से धुलाई/ड्रायक्लीनिंग हेतु कपड़ों की अच्छी तरह जाँच/गिनती कर प्राप्त करना होगा। तथा अच्छी हालत में कपड़ों की धुलाई/ड्रायक्लीनिंग व प्रेस करने के दौरान कपड़ों के फटने या जलने व गुम हो जाने पर रेलवे के विशिष्टीकरण के अनुसार सात दिन के अन्दर बदली करके देना होगा तथा ऐसा न करने पर 20/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा । अन्यथा 7 दिन की अवधि के उपरान्त 30 दिन की अवधि तक सामग्री वापस नहीं करने तक जुर्माना राशि के साथ-साथ सामान की मार्केट वेल्यू की राशि की कटौती रनिंग बिल से की जायेगी ।
04. ठेकेदार द्वारा धुलाई/ड्रायक्लीनिंग किये गये कपड़ों की स्वच्छता यदि संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें मुफ्त धोना होगा तथा इस कारण से धुलाई/ड्रायक्लीनिंग में हुये अनावश्यक विलम्ब के लिये उपर दी गई शर्त क्र. 2 व 3 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
05. ठेकेदार को धुलाई/ड्रायक्लीनिंग किये गये कपड़ों की वास्तविक संख्या के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।
06. इस ठेके में रेलवे की अनुबन्ध सम्बन्धी सामान्य शर्तें व विशेष शर्तें दोनों लागू होंगी। यदि इसमें किसी विरोधाभास की स्थिति में सामान्य शर्तें मान्य होंगी ।
07. **भुगतान की शर्तें:—** रिटायरिंग रूम / टी.टी.ई रेस्ट हाउस ड्रायक्लीनिंग किये गये कपड़ों की वास्तविक संख्या के आधार पर स्वीकृत दर के अनुसार एक माह में एक बार भुगतान देय होगा। कोटेशन को बिल तैयार कर प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में जमा करना होगा तथा स्टेशन मास्टर इन बिलों को साइट रजिस्टर के अनुरूप चैक कर तथा आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करवायें। लागू होने वाले आयकर व अन्य कर आदि तथा जुर्माना राशि इत्यादि की कटौती करने के बाद बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
08. रेलवे की GCC-2018 की कण्डीशन (Duly Amended) इस कार्य के लिये लागू होगी ।

(अ) ठेका/निविदा शर्तों के तहत अथवा इस निविदा के अधीन किसी अन्य तरह के अथवा इससे संबंधित किसी बात को लेकर या इसके सही तात्पर्य के बारे में अथवा निर्दिष्ट प्रावधानों में से किसी व्याख्या को लेकर (इसमें कथित निविदा शर्तों के तहत किसी प्रकरण के बारे में और साथ ही निविदाकार द्वारा दावा प्रमाण पत्र न दिये जाने संबंधी किसी प्रकरण के विषय में निर्णय के लिये विशेष उपबन्ध को छोड़कर) किसी समय उत्पन्न हुये मतभेद अथवा विवाद होने की स्थिति में इस पर निर्णय कराने के लिये इसे निम्नलिखित के समक्ष भेजा जायेगा ।

(1) इन प्रकरणों पर निर्णय प्रदान करने वाले एक मात्र मध्यस्थ महाप्रबन्धक होंगे या उनके द्वारा नामित कोई राजपत्रित रेल अधिकारी होगा । ऐसे नामांकन रु. 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख से कम)के प्रकरणों के लिये होगा । और ऐसे मामले जो जटिल प्रकृति के होने या न होने के निर्णय के महाप्रबन्धक ही एकमात्र निर्णायक होंगे ।

(2) अनुवर्ती उपधारा में निर्दिष्ट नियम के अनुसार सामान हैसियत वाले ऐसे दो राजपत्रित रेल अधिकारी मध्यस्थ नियुक्त किये जायेगे जिन्हें रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) के सभी दावों पर निर्णय करना होगा और इसके ऊपर की राशि वाले ऐसे सभी दावों पर जिसमें यदि जटिल प्रकृति शामिल है तो इसके राशि या मूल्यों पर विचार किये बिना ही इस पर निर्णय लेंगे । इस प्रकरण की प्रकृति जटिल है अथवा नहीं, का निर्णय केवल महाप्रबन्धक करेंगे जो मध्यस्थों के बीच विचारों में मतभेद होने पर मामले को विवाद प्रकरण अधीन करते हुये इसे अधिनिर्णायक अनुवर्ती उपधारा (पअ) में निर्दिष्ट नियमानुसार प्रकरणों हेतु नियुक्त होते हैं । मध्यस्थ के निर्णय अथवा उनके द्वारा असहमत होने की स्थिति में, उनके द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक का निर्णय ही अंतिम/बाध्यकारी और निर्णायक होगा । मध्यस्थ अधिनियम 1940 और इसके अधीन किसी नियमों के प्रावधानों और उसके किसी संविधानिक संशोधनों का इस निविदा के लिये दिया हुआ/सम्मिलित माना जायेगा ।

(3) जहाँ रु.3,00,000/- (रुपये तीन लाख) के दावों का प्रकरण है, उसमें मध्यस्थ/मध्यस्थों अधिनिर्णायक या इस रूप में नियुक्त जो/कोई भी हो,उन सभी प्रकरणों का निर्णय प्रदान करेंगे । इस निर्णयों में विवाद वाले हर एक प्रकरणों का मदवार पृथक रूप से लिये निर्णयों का अलग-अलग मध्यस्थता दर्शाते हुये निर्णय देंगे । रु.3,00,000/- (रु.तीन लाख)से अधिक राशि के दावों पर मध्यस्थ/मध्यस्थों/अधिनिर्णायक या इस रूप में नियुक्त जो कोई भी हो इस बारे में स्पष्ट निर्णय प्रदान करेंगे । (अर्थात् निर्णयों को युक्तिसंगत प्राथमिकता प्रदान करते हुये।)

(4) उपयुक्त उपधारा (11) में निर्दिष्ट दो माध्यस्थों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये, रेल प्रशासन द्वारा रेलवे के एक या एक से अधिक विभाग से कम तीन राजपत्रित रेल अधिकारियों के नाम पैनल ,निविदाकार के पास भेजा जायेगा निविदाकार द्वारा इस पैनल में शामिल नाम के अलावा एक नाम उत्तराधिकारी से सुझाव मांगेंगे । महाप्रबन्धक अथवा उत्तराधिकारी द्वारा निविदाकार के मनानीत सदस्य की नियुक्ति करते समय वे रेल प्रशासन की नामिती के रूप में पैनल में से या पैनल के बाहर से एक द्वितीय मध्यस्थ की नियुक्ति, इस बात को सुनिश्चित करते समय हुये करेंगे कि इस रूप में नामित दो में से एक मध्यस्थ लेखा विभाग से हो । दो मध्यस्थों के सदंर्भों की प्रविष्टि करने के पूर्व एक अधिनिर्णायक नामित होंगे जो कि एक राजपत्रित रेल अधिकारी हो, जिन्हें दो मध्यस्थों के बीच उत्पन्न किसी मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तुत किया जायेगा । रेलवे में लेखा विभाग से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के अधिकारी को मध्यस्थ के

रूप में नियुक्त करने के ध्येय से रेलवे के अन्य विभागों के मध्यवर्ती प्रशासनिक वेतनमान के अधिकारियों के समतुल्य माना जायेगा ।

(5) (अ) यदि उपधारा (1)के अधीन नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ या उपधारा (II)और (III) के अधीन नियुक्त उक्त मध्यस्थों में से एक/दोनों द्वारा अपनी/अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र/अपने नियुक्ति से त्यागपत्र दिये जाने अथवा उसके/उनके द्वारा अपने कार्य छोड़ने अथवा जिस किसी कारण से कार्य सम्पादन में अयोग्य/अनिच्छुक हैं/होते हैं अथवा इनकी मृत्यु हो जाती है तो महाप्रबन्धक अथवा उनके उत्तराधिकारी द्वारा उपर्युक्त मध्यस्थ/मध्यस्थों की जगह कार्य उपधारा (II) उपधारा (III) (IV) जैसी स्थिति हो, के अधीन एक नये मध्यस्थ/मध्यस्थों की नियुक्ति कर सकते हैं। इस रूप में नियुक्ति मध्यस्थ/मध्यस्थों, जैसी स्थिति हो पूर्व के मध्यस्थ/मध्यस्थों द्वारा छोड़े कार्य की अवस्था से ही आपेक्षित प्रक्रियाओं के अनुपालन के पात्र है।

(ब) मध्यस्थ या मध्यस्थों या अधिनिर्णायक को शपथपत्रों के माध्यम से ऐसे साक्ष्य या मध्यस्थ या मध्यस्थों या अधिनिर्णायक द्वारा, जो भी उचित समझे मांगने की शक्ति प्रदत्त और इस प्रकार मध्यस्थ/मध्यस्थों/अधिनिर्णायक द्वारा बिना किसी विलम्ब के निर्णय दे सकने योग्य कार्य/कारण यथावश्यक सभी बातों को सुनिश्चित करने की ड्यूटी पार्टी की होगी।

(स) वे/वह व्यक्ति जो मध्यस्थ/मध्यस्थों या अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्ति होते हैं। उनके सरकारी सेवक होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि मध्यस्थ/मध्यस्थगण/अधिनिर्णायक एक रेल सेवक ही होता है/होते हैं और वह/वे उनमें से नहीं होंगे। जिन्होंने निविदा संबंधी प्रकरणों का कार्य पहले किया हो और ऐसे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ हो अथवा उसके/उनके कार्य के दौरान रेल सेवक (सेवकों)की हैसियत से वह/वे किसी विवादास्पद या मतभेद वाले मामलों या सभी मामलों पर आप विचार अभिव्यक्त किये हो/किया हो/मध्यस्थ,मध्यस्थों/अधिनिर्णायक द्वारा लिया निर्णय, जैसी भी स्थिति हो निविदा पार्टी के लिये अंतिम निर्णय होगा । और यह उनके लिये बाध्यकारी होगा ।

लागत निर्धारण –

समस्त सदंर्भों एवं ऐसे सदंर्भों पर लागतों का निर्धारण क्रमशः सदंर्भ एवं निर्णय के अनुसार जैसी स्थिति हो मध्यस्थों अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक के विवेक पर निर्भर करेगा ।

मध्यस्थता स्थान–

मध्यस्थता के लिये उस स्थान को चुना जायेगा, जहाँ से निविदा जारी करने का पत्रादि स्वीकृत हुआ हो अथवा रेलवे अपने विवेक से किसी अन्य स्थान को भी मध्यस्थता के लिये निर्धारित कर सकती है ।

मध्यस्थता अवधि में वेतन भुगतान –

टेके के अधीन निर्धारित कार्य,रेल प्रशासन द्वारा जब तक कोई ऐसा निर्देश न मिले ,तब तक चलता रहेगा और रेल प्रशासन द्वारा देय राशि का भुगतान मध्यस्थता की प्रक्रियाधीन अवधि में रोके रखा जायेगा । टेका शर्तों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी ,मध्यस्थ या अधिनिर्णायक जो कोई ,को ऐसी कार्यवाई करने में किसी समय इसके सही या उचित होने की दिशा में विचार करना आपेक्षित हो तो इस अवस्था में इन्हें भुगतान रोके रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।